

प्रार्थना पत्र 128 भू रा. अधि. दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को 03.06.2024 को पेश हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
प्रा0 पत्र संख्या:- 293/2024

पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होना पावी जाती है बावजूद सम्यक तामील अनु. अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पत्नीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 1, 2 रकबा 1.97 हैक्ट. का प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि का दिनांक 03.06.2024 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे।

वहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम भूदोली पटवार हल्का भूदोली तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 1, 2 रकबा 1.97 हैक्ट. प्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व समस्त खातेदारान व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बावत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)
आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम भूदोली पटवार हल्का भूदोली तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 1, 2 रकबा 1.97 हैक्ट. की प्रार्थी, समस्त खातेदारान व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2024 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

